भारत सरकार
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय
दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग

**लोक सभा**

**अतारांकित प्रश्न संख्या - 3591**
उत्तर देने की तारीख : 17.12.2024

**दिव्यांगजनों के लिए नौकरियां/रोजगार**

3591. श्री सतपाल ब्रह्मचारी:

क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) विगत तीन वर्षों के दौरान हरियाणा, विशेषकर सोनीपत लोक सभा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में नौकरियों/रोजगार के लिए दिव्यांगजनों से प्राप्त आवेदनों का वर्षवार ब्यौरा क्या है और इन आवेदनों के संबंध में प्रदान की गई नौकरियों/रोजगार का ब्यौरा क्या है;

(ख) इस अवधि के दौरान दिव्यांगजनों के लिए चलाई गई योजनाओं का ब्यौरा क्या है और दिव्यांगजनों पर व्यय की गई धनराशि का वर्ष-वार और जिला-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) वर्तमान में हरियाणा, विशेषकर सोनीपत लोक सभा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में बेरोजगार कुशल दिव्यांगजनों की संख्या कितनी है;

(घ) क्या सरकार ने उन्हें रोजगार प्रदान करने के लिए कोई लक्ष्य निर्धारित किया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

**उत्तर**

सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री
(श्री बी.एल. वर्मा)

(क) दिव्यांगजन अधिकार (आरपीडब्ल्यूडी) अधिनियम 2016 की धारा 34 के अनुसार, बेंचमार्क दिव्यांगजनों के लिए सरकारी नौकरी में आरक्षण को 3% से बढ़ाकर 4% कर दिया गया है। केंद्र सरकार में नियुक्ति हेतु नोडल विभाग होने के नाते कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी), पदों और सेवाओं में आरक्षित श्रेणियों के अभ्यावेदन (आरआरसीपीएस) पोर्टल (rrcps.nic.in) के माध्यम से मंत्रालयों/विभागों में दिव्यांगजनों के अभ्यावेदनों के संबंध में ऑनलाइन डेटा एकत्रित करता है। उक्त पोर्टल पर मंत्रालयों/ विभागों

द्वारा अपलोड की गई सूचना के अनुसार, पिछले पांच वर्षों (वर्ष 2019 से 2023 तक) में सीधी भर्ती पर 8557 दिव्यांग अभ्यर्थियों की नियुक्ति की जा चुकी है। दिव्यांगजनों से प्राप्त आवेदनों और प्रदान की गई नौकरियों के संबंध में राज्यवार और जिलावार डेटा केंद्रीय रूप से नहीं रखा जाता है।

(ख) केंद्र सरकार दिव्यांगजनों के लिए निम्नलिखित प्रमुख योजनाओं का संचालन कर रही है:-

**(i) सहायक यंत्रों / उपकरणों की खरीद/फिटिंग के लिए दिव्यांगजनों को सहायता (एडिप):** एडिप योजना के अंतर्गत, विभिन्न कार्यान्वयन एजेंसियों को धनराशि जारी की जाती है, ताकि पात्र दिव्यांगजनों को टिकाऊ, उन्नत और वैज्ञानिक रूप से निर्मित, आधुनिक, मानक सहायक यंत्र और उपकरण प्राप्त करने में सहायता मिल सके, जिससे देश भर के दिव्यांगजनों में दिव्यांगता के प्रभाव को कम करके और दिव्यांगजनों की आर्थिक क्षमता को बढ़ाकर उनके शारीरिक, सामाजिक और मानसिक पुनर्वास को बढ़ावा दिया जा सके।

**(ii) दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम के कार्यान्वयन के लिए योजना (सिपडा):** यह योजना दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 के कार्यान्वयन से संबंधित विभिन्न गतिविधियों के लिए राज्य सरकारों को, तथा केंद्र अथवा राज्य सरकार के तहत आने वाले स्वायत्त संगठनों/संस्थानों/विभिन्न कार्यान्वयन एजेंसियों को सहायता प्रदान करने के लिए है। दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम के कार्यान्वयन के लिए योजना (योजना) के प्रमुख घटक इस प्रकार हैं:-

- दिव्यांगजनों के लिए बाधामुक्त वातावरण का सृजन।
- कौशल विकास के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना
- सुगम्य भारत अभियान (एआईसी)
- विशिष्ट दिव्यांगता पहचान पत्र

**(iii) दीनदयाल दिव्यांगजन पुनर्वास योजना (डीडीआरएस):-** इस योजना के अंतर्गत, दिव्यांगजनों के पुनर्वास से संबंधित परियोजनाओं का संचालन करने के लिए गैर-सरकारी संगठनों (एनजीओ) को सहायता-अनुदान प्रदान किया जाता है, जिसका उद्देश्य दिव्यांगजनों को अपने इष्टतम, शारीरिक, संवेदी, बौद्धिक, मानसिक या सामाजिक कार्यात्मक स्तरों तक पहुंचने और उसे बनाए रखने में सक्षम बनाना है।

**(iv) दिव्यांग छात्रों के लिए छात्रवृत्ति योजनाएं:** इस योजना के अंतर्गत, सरकार दिव्यांग छात्रों को प्री-मैट्रिक (कक्षा IX तथा X के लिए), पोस्ट-मैट्रिक (कक्षा XI से स्नातकोत्तर डिग्री/डिप्लोमा स्तर के लिए), उच्च श्रेणी शिक्षा (अधिसूचित संस्थानों में स्नातकोत्तर डिग्री/डिप्लोमा), राष्ट्रीय फेलोशिप (एम.फिल और पीएचडी पाठ्यक्रम), राष्ट्रीय ओवरसीज़ छात्रवृत्ति (स्नातकोत्तर / डॉक्टरेट स्तर पर विदेश में शिक्षा के लिए) जैसी छात्रवृत्तियां प्रदान करती है।

इसके अलावा, पिछले तीन वित्तीय वर्षों के दौरान इस विभाग की विभिन्न योजनाओं के तहत जारी की गई निधियों का ब्यौरा निम्नानुसार है:-

(राशि करोड़ रुपये में)

| वर्ष | वित्तीय वर्ष 2021-22 | वित्तीय वर्ष 2022-23 | वित्तीय वर्ष 2023-24 |
|---|---|---|---|
| योजना | वास्तविक व्यय (एई) | वास्तविक व्यय (एई) | वास्तविक व्यय (एई) |
| एडिप | 198.69 | 242.29 | 290.60 |
| सिपडा | 108.44 | 65.55 | 76.79 |
| डीडीआरएस | 100.89 | 114.69 | 129.97 |
| छात्रवृत्ति | 132.17 | 145.20 | 130.47 |

**(ग) से (ङ):** दिव्यांगजनों के कौशल को बढ़ावा देने के लिए विभाग दिव्यांगजनों के कौशल विकास के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना (एनएपी-एसडीपी) का कार्यान्वयन कर रहा है ताकि वे लाभदायक रोजगार प्राप्त कर सके और आत्मनिर्भर बन सके तथा समाज में उत्पादक सदस्य बन सके। इस योजना के तहत, दिव्यांगजनों को देश भर के सरकारी और गैर सरकारी संगठनों के माध्यम से कौशल प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। इस योजना के शुरु होने के समय से अब तक, विभाग ने देश भर में 1.42 लाख दिव्यांगजनों को कौशल प्रशिक्षण दिया है और 28,000 दिव्यांगजनों को वैतनिक रोजगार/स्वरोजगार में नियोजित किया गया है। लाभार्थियों का राज्यवार/जिलावार विवरण रखा नहीं जाता है।

*********